भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3232
सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवा

3232. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश के विशेषकर खंडवा और मुंबई सहित महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवाओं की संख्या का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ग) देश में उच्च बेरोजगारी दर वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश के विशेषकर खंडवा और मुंबई सहित महाराष्ट्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को राज्य-वार और जिला-वार कितने रोजगार प्रदान किए गए?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दादरा और नगर हवेली, खंडवा सहित मध्य प्रदेश और मुंबई सहित महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) में गिरावट का रूझान है।

वर्ष 2023-24 में देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) 10.2% थी जो वैश्विक स्तर से कम है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) दादरा और नगर हवेली में 56.9%, मध्य प्रदेश में 56.6% और महाराष्ट्र में 40.1% था।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार**,** भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि लागू कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 16.12.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3232 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	2023-24
आंध्र प्रदेश	17.5
अरुणाचल प्रदेश	20.9
असम	14.1
बिहार	9.9
छत्तीसगढ	6.3
दिल्ली	4.6
गोवा	19.1
गुजरात	3.1
हरियाणा	10.7
हिमाचल प्रदेश	16.3
झारखंड	3.6
कर्नाटक	10.2
केरल	29.9
मध्य प्रदेश	2.6
महाराष्ट्र	10.8
मणिपर	22.9
मेघालय	14.0
मिजोरम	13.3
नागालैंड	27.4
ओडिशा	11.1
पंजाब	18.8
राजस्थान	12.4
सिक्किम	7.7
तमिलनाडु	15.3
तेलंगाना	16.6
त्रिपुरा	6.8
उत्तराखंड	9.8
उत्तर प्रदेश	9.1
पश्चिम बंगाल	9.0
अंडमान एवं निकोबार दवीप समह	33.6
चंडीगढ	10.3
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	6.6
जम्म एवं कश्मीर	17.4
लददाख	22.2
लक्षदवीप	36.2
पुडुचेरी	14.6
अखिल भारत	10.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई